न्यायालय में:— श्रीमान् अध्यक्ष / सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर
श्रृंखला राजस्व मंडल रीवा (म0प्र0)

1— ठाकुरदीन पिता चंदा महरा

2— इतवारी पिता चंदा महरा दोनों निवासी ग्राम बहपुर पो. भेजरी थाना अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म0प्र0 .... निगराकारगण

बनाम

कबीर पिता पंचू महरा निवासी ग्राम बहपुर पो. भेजरी थाना अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म0प्र0 .... गैर निगराकार

पुनिरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0
पुनिरीक्षण विरूद्ध बरूवे आदेश रा0नि0मं0 भेजरी तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के रा0प्र0क03 / अ12 / 16—17 आदेश दिनांक 20.01.2017

मान्यवर,

निगराकारगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी / पुनरीक्षण आवेदन पत्र पेश कर निम्नलिखित विनय है:—

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

निगराकारगण एवं गैर निगराकार एक ही परिवार के व्यक्ति है जिनके पूर्वज चंदा पिता चमरू के नाम से ग्राम बहपुर पटवारी हल्का 109 बहपुर रा0नि0मं0 भेजरी तह0 पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म0प्र0 में आ0ख0नं0 255 / 5 / क / 5 रकवा 0.945 हे0 भूमि थी। आ0रा0ख0नं0 255 बहुत बाड़ा रकवा है, जिसमें लगभग 100 कृपकों का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। जिसका अभी तक नक्शा तर्मिम नहीं हुआ है फिर भी बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण तरीका से सभी अपने—अपने हिस्से व भू—स्वामित्व की भूमि पर मकान, बाड़ी, बनाकर खेती कास्तकारी करते चले आ रहे है।

चंदा पिता चमरू ने अपने जीवन काल में अन्य भूमियों के साथ—साथ विवादित भूमि ख0नं0 255 / 5 / क / 5 का बटवारा आज से 30—32 वर्ष पूर्व चार पंचों के समक्ष अपने पुत्रों रामसुन्दर, ठाकुरदीन, इतवारी निगराकारगण के बीच 1 / 4 हिस्सा नुसार निम्नलिखित नजरी नक्सा अनुसार कर कब्जा दखल सौप दिये थे।

उत्तर हीरा बाई, बेसाहन, स्वामीलाल
प्रेम कुमार की भूमि व मकान बाड़ी

रास्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक – निग.- 5147-दो/2017 जिला-अनूपपुर

ठाकुरदीन व अन्य **विरूद्ध कबीर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री असफाक अहमद उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल भेजरी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला- अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 03/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 23/01/19 सदस्य	